राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 154/2014/अलवर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन वृत–अलवर .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स राज मोटर्स एण्ड मशीनरी स्टोर्स
तेज मण्डी,स्टेशन रोड, अलवर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज,अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिह
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
श्री एस.के.जैन
अभिभाषक ..प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.05.2017

निर्णय

1. यह अपील सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन वृत–अलवर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग,अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 25/आरवैट/ 2013–14/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 04.07.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 100 सपठित राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 84 सपठित के तहत प्रस्तुत की गई हैं। सशक्त अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 25,55, व 61 के अन्तर्गत दिनांक 28.03.2013 को पारित करते हुए कर रू. 80,582/–, ब्याज रू. 10,879/– तथा शास्ति रू. 1,61,164/–कुल रू. 2,52,625/– की मांग सृजित की गई है। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपील स्वीाकर कर प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिससे असन्तुष्ट होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन वृत अलवर द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण फर्म के भागीदार श्री उमाशंकर मेठी की उपस्थिति में दिनांक 17.01.2012 को करने पर पाया गया कि प्रत्यर्थी फर्म द्वारा सबमर्सिबल पम्प्स सैट्स, मोनोब्लाक्स व इनके एसेसरीज, अल्टरनेटर्स, इलेक्ट्रिक व हार्डवेयर से सम्बन्धित माल की खरीद राज्य से व राज्य के बाहर से की जाकर बिक्री किया जाता है। व्यवसाय स्थल पर पाये गये 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल का भौतिक सत्यापन फर्म के भगीदार व दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया जाकर सत्यापन फर्द तैयार की गई, जिसमें लेखा पुस्तकों में घोषित माल से 14

प्रतिशत से कर योग्य माल रू.5,64,300/–का कम पाया गया। प्रकरण में अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी फर्म के भागीदार के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के पश्चात कम पाये माल पर लाभ जोडते हुए बिना वैट इनवाईस के माल का विक्रय किया जाना मानकर उस पर 14 प्रतिशत की दर से कर रू. रू. 80,582/–, ब्याज रू. 10,879/– तथा शास्ति रू.1,61,164/–कुल रू. 2,52,625/– की मांग सृजित की गई, जिससे असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2013 पारित कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर आलोच्य अवधि का पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के निर्देश दिये । उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त सर्वेक्षण फर्म की नियमित लेखा पुस्तकों से भौतिक सत्यापन करने पर लेखा पुस्तकों में 14 प्रतिशत से कर योग्य माल रू.5,64,300/–का कम पाया गया है, जिस पर सशक्त अधिकारी द्वारा लाभ जोडते हुए 14 प्रतिशत की दर से कर रू. रू. 80,582/–, ब्याज रू. 10,879/– तथा शास्ति रू.1,61,164/–कुल रू. 2,52,625/– की मांग सृजित की गई, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने द्वारा प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जो अविधिक है। उन्होंने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित व विधिक बताते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वक्त सर्वेक्षण फर्म की नियमित लेखा पुस्तकों से भौतिक सत्यापन करने पर लेखा पुस्तकों में 14 प्रतिशत से कर योग्य माल रू.5,64,300/–का कम पाया गया है, जिस पर सशक्त अधिकारी द्वारा लाभ जोडते हुए 14 प्रतिशत की दर से कर रू. रू. 80,582/–, ब्याज रू. 10,879/– तथा शास्ति रू.1,61,164/–कुल रू. 2,52,625/– की मांग सृजित की गई।

5. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के पूर्ववर्ती वर्ष 2010–11 में दिनांक 31.03.2011 को शेष बचे रू. 7,57,714/–के अन्तिम स्टॉक को वर्ष 2011–12 के ट्रेडिंग एकाउन्टस में अलग से 5 प्रतिशत के स्टॉक में नहीं दर्शाया जाकर

इसे 14 प्रतिशत कर योग्य माल के प्रारम्भिक स्टॉक में दर्शाया गया है। भौतिक सत्यापन पर 5 प्रतिशत कर योग्य माल वायर का कोई स्टॉक नहीं लिया गया है और आलोच्य अवधि के ट्रेडिंग एकाउन्ट्स में 14 प्रतिशत कर योग्य माल के प्रारम्भिक स्टॉक में सम्मिलित होना बताया गया है। सशक्त अधिकारी ने ट्रेडिग एकाउन्ट्स में 14 प्रतिशत कर योग्य माल के प्रारम्भिक स्टॉक में से उक्त 5 प्रतिशत कर योग्य माल वायर के स्टॉक को कम किये बिना ही विवादित आदेश पारित किया गया है। उक्त तथ्यों को अपीलीय अधिकारी ने विवेचित करते हुए निर्देश दिये हैं कि ट्रेडिग एकाउन्ट्स में 14 प्रतिशत कर योग्य माल के प्रारम्भिक स्टॉक में से उक्त 5 प्रतिशत कर योग्य माल वायर के स्टॉक की जांच की जाकर उक्त 5 प्रतिशत कर योग्य माल वायर के स्टॉक को आलोच्य अवधि के ट्रेडिंग एकाउन्ट्स में 14 प्रतिशत कर योग्य माल के प्रारम्भिक स्टॉक में से कम किये जाने के उपरान्त आलोच्य अवधि का कर निर्धारण पुनः पारित करने हेतु प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

6. अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष